प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः शिविर/543–604(5)/1994–95 दिनांक 21.04.1994 एवं पत्रांकः शिविर/5666–72/2008–09 दिनांक 07.10.2008 द्वारा कमशः नवोदय बाल निकेतन प्रा0वि0 कोलना (चुनार) मीरजापुर एवं नवोदय बाल निकेतन, कोलना चुनार, मीरजापुर को कक्षा–01 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी, नरायनपुर, मीरजापुर की आख्या/संस्तुति दिनांक 07.06.2019 एवं शासनादेश संख्याः 418/79–6–-2013–18एस(7)/89 दिनांक 08.05.2013 के पृष्ठ संख्या–13 के प्रस्तर(11) द्वारा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक : बेसिक/ 451–52 /2019–20 दिनांक : 11.06.2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्धक, नवोदय बाल निकेतन, कोलना, चुनार, मीरजापुर।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर।

11.06.19

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर।

Principal
NAVODAYA BAL NIKETAN
Kolana, Chunar Mirzapur

Navodaya Bal Niketan
MANAGER
Kolana, Chunar, Mirzapur

D:\BSA_Clorks & Steno\2018-19\Ram Vilas\Letter.docx (Page 316)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबंधक,

नवोदय बाल निकेतन कोलना, चुनार,

मीरजापुर।

पत्रांक – शिविर / 5666-72 /2008–09 दिनांक – 7-10-08

विषय – अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

————00000————

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15–6–97–101–एम–1(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय मान्यता समिति जनपद मीरजापुर के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत करने की तिथि से प्रदान की जाती है। स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार किया जायेगा जब नियमानुसार विद्यालय स्थायी मान्यता की शर्तों को पूरा कर लेगा।

उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं।

1– प्रधानाध्यापक एक पद।

2– सहायक अध्यापक चार पद। (जिसमें एक अध्यापक विज्ञान तथा भाषा का होगा)

3– लिपिक एक पद।

4– परिचारक एक पद।

शासकीय एवं विभागीय आदेशों के उल्लंघन करने तथा मान्यता सम्बंधी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर विद्यालय की अस्थायी मान्यता तत्काल प्रत्याहरण कर ली जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

भवदीय,

(दिनेश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मीरजापुर।

पृ०सं०– शिविर / / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, इलाहाबाद।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद।

3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी।

4– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, मीरजापुर।

5– जिला समाज कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक अधिकारी / पिछड़ावर्ग अधिकारी, मीरजापुर

6– सम्बंधित स०बे०शि०अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी / उप बे०शि० अधिकारी मीरजापुर।

7– कार्यालय गार्ड फाईल।

(दिनेश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मीरजापुर।

Principal

NAVODAYA BAL NIKETAN

Kolana, Chunar Mirzapur

Navodaya Bal Niketan

MANAGER

Kolana, Chunar, Mirzapur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,
नवोदय बाल निकेतन प्रा० वि०
कोलना (चुनार) मीरजापुर ।

पत्रांक: शिविर/ 543-64 (5) /1994-95 दिनांक- 2/5/94

विषय :-- प्राइमरी स्कूल के [illegible]/नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय के प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5 तक) को अस्थायी मान्यता/ [illegible] केवल जुलाई, 1993 से जून, 1994 तक के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों की पूर्ति करके उसकी प्रगति का विवरण क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में ही अवश्य दे दें। अन्यथा आपकी मान्यता उक्त अवधि के बीच में भी प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में प्रत्याहरित कर ली जा सकती है। साथ ही इस बीच आप मान्यता के लिए आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति कर लें।

प्रतिबन्ध :--

1- 25×20 फीट के आकार के प्रत्येक वर्ग के लिए एक-एक शिक्षण कक्ष तथा वैकल्पिक कक्ष की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा भण्डार कक्ष के लिए पृथक-पृथक कक्ष निर्मित किये जाय।
2- छात्रों एवं अध्यापकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था की व्यवस्था की जाय।
3- रू0 2500=00 की नगद धनराशि अथवा इसी मूल्य की अचल सम्पत्ति जिसका मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है सहित विद्यालय के नाम जमा की जाय जो धन न बेची जायेगी न धरोहर रक्खी जायेगी।
4- रू0 1000=00 का सुरक्षित कोष नगद जमा कर बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद में प्लेज्ड किया जाय।
5- रू0 500=00 की छात्र उपयोगी पुस्तके पुस्तकालय में रखी जाय।
6- 1½ एकड़ भूमि क्रीड़ा क्षेत्र के लिए उपलब्ध किया जाय तथा विद्यालय के नाम पंजीकृत किया जाय।
7- विद्यालय की किसी प्रकार की रिक्ति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर कोई अध्यापक नियुक्त नही किया जाय और न किसी अध्यापक की सेवाएं समाप्त और न ही सेवा से पदच्यूत ही किया जाय।
8- संस्था में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत होने पर संस्था के मान्यता का स्थायीकरण संभव न होगा।
9- प्रत्येक अध्यापक/कर्मचारी वही वेतनमान मँहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मँहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(ह०) [illegible]

Principal
NAVODAYA BAL NIKETAN
Kolana, Chunar Mirzapur

Navodaya Bal Niketan
MANAGER
Kolana, Chunar, Mirzapur

10- निर्धारित अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद संस्था को मान्यता के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जुलाई माह में इस कार्यालय को अवश्य प्राप्त कराई जाय ।

11- विद्यालय की प्रबन्ध समिति साधारण सभा द्वारा चुने एवं पंजीकृत होगी एवं उसका चयन निर्धारित अवधि में नियमित होता रहेगा तथा समिति के संविधान एवं पंजीकरण एवं उसका नवीनीकरण आदेश की सत्य प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय ।

12- विद्यालय में विभाग द्वारा मान्य पाठ्यक्रम ही संचालित किये जायेंगे ।

13- विद्यालय प्रबंध मण्डल विभागीय आदेशों का पालन करेगी अन्यथा आदेशों की अवहेलना में मान्यता प्रतिहरित की जा सकती है ।

14- छात्रों का प्रवेश निष्क्रमण पर यथेष्ठ नियंत्रण तथा शिक्षण पर प्रभावी प्रबन्ध अवश्य किया जाय ।

15- छात्रों एवं अध्यापकों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में काष्ठोपकरण उपलब्ध कराया जाय ।

उपर्युक्त विषय पर आपको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि यह अस्थायी मान्यता/नवीनीकरण उक्त अवधि के लिए प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है अतः आप सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति यथाशीघ्र कर सूचित करें। प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में आपके विद्यालय की मान्यता को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा । तथा बीच में भी आहरित की जा सकेगी ।

भवदीय

(एम० एन० सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर ।

पृ०सं०: शिविर/ /उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल-वाराणसी ।
2- शिक्षा निदेशक, (बेसिक) अर्थ-अनुभाग (शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
3- विद्यालय उप निरीक्षक, मीरजापुर ।
4- क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित)
5- शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, नगरपालिका चुनार, अहरौरा, मीरजापुर।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मीरजापुर ।

(एम० एन० सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर ।

Principal
NAVODAYA BAL NIKETAN
Kolana, Chunar, Mirzapur

Navodaya Bal Niketan
MANAGER
Kolana, Chunar, Mirzapur